N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0042 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/02/2025 16:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 04/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 10:41 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/02/2025 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/02/2025 16:17:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 179 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA MASUDA, JILA BEAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAMLESH SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SARDAR SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM NARAYANPURA, MASUDA, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM NARAYANPURA, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BIRBALRAM		पिता:SUGNARAM	1. SIRAHI,NEEM KA THANA,SIKAR,RAJASTHAN,IND
2	PRADHAN SINGH		पिता:BHANU SINGH	1. RAMPURA,MASUDA,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम विषय - भ्रष्ट पुलिस कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय जी, निवेदन है कि मैं प्रार्थी कमलेश सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रावत उम्र 24 साल निवासी नारायणपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर का निवासी हूं। मै क्रेन ऑपरेटर हूं। मै 12 तक पढा लिखा हूं। मेरे चचेरे भाई हिरा सिंह पुत्र श्री लादू सिंह व मेरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस थाना मसूदा में इन्द्रा देवी जाट पत्नि श्री भंवर जाट ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिसमें इन्द्रा देवी जाट ने मेरे सभी चचेरे भाईयों व परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट में झुठा नाम लिखा दिया। रिपोर्ट की जांच श्री बीरबल राम हैड साहब थाना मसूदा कर रहे है। कल दिनांक 02.11.2024 को मैं समय 2.00 पी.एम. पर मेरे भाई हिरा सिंह व भाभीजी सुगना देवी व बहिन अमला के साथ पुलिस थाना मसूदा मे जाकर इनकी जमानत दी तथा हैड साहब बीरबल राम जी ने मेरे से फोटो व आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली। इसके बाद मेरे भाई व भाभी व बहिन को तो भेज दिया तथा मुझे थाने पर रोक लिया तथा मुझे साइड में ले जाकर कहा कि रिपोर्ट में 25-26 जनो के नाम है इनका नाम निकालना है तो 25000/ पच्चीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग की। 25000/ रूपये कल शाम तक लेकर आ जाना नही तो सभी को जेल में भेज दूंगा, मैने काफी हाथा जोडी की कि इस घटना के दिन केवल 3 तीन औरत ही थी, आदमी तो कोई नही था तो उसने कहा कि तू मुझे कानून सीखा रहा है क्या तुझे जेल भेज दूंगा मैं श्री बीरबल राम हैड साहब को मेरे परिवार वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमा में जायज कार्य की एवज में कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को 25000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंग हाथों पकडवाना चाहता हूं, श्री बीरबल राम मेरे से 25000, हजार रूपये रिश्वत लिये बगैर मेरे परिवार वालों के खिलाफ झुठी कार्यवाही कर परेशान करेगा, मेरी श्री बीरबल राम हैड साहब से कोई रंजिश नही है और नही कोई उधार का लेने-देन बकाया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करें।
03.11.2024 प्रार्थी एस.डी कमलेश सिंह नाम कमलेश सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति रावत उम्र 24 वर्ष निवासी नारायणपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर मो.नं. [redacted] संलग्न 1. आधार कार्ड की फोटो कॉपी 2. नोटिस धारा 35 (3) BNSS एस.डी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एस.डी श्री प्रदीप सिंह राठौड कार्यवाही पुलिस – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम दिनांक 03.11.2024 समय 04.30 पी.एम केम्प श्री रामदेव सिंह रावत का मकान, शिव कोलोनी मसूदा – इस समय परिवादी श्री कमलेश सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति रावत उम्र 24 वर्ष निवासी नारायणपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर नें एक तहरीरी रिपोर्ट मुझ उप अधीक्षक पारसमल को प्रस्तुत रिपोर्ट की जिस पर प्रार्थी श्री कमलेश सिंह से दरयाप्त की गई तो बताया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं। तथा पेशे से हाइड्रा क्रेन ऑपरेटर हूँ तथा बारहवी कक्षा पास हूँ। उक्त रिपोर्ट मेरी स्वयं की कलमी है। दरयाप्त पर बताया कि श्री हीरा सिंह पुत्र श्री लादू सिंह, निवासी नारायणपुरा मेरा चचेरा भाई है। जिसके तखतपुरा एवं नारायणपुरा के बीच में कृषि भूमि है, तथा इसके पास में ही कुछ सरकारी भूमि जिस पर 40 साल से श्री हीरासिंह का कब्जा है, लेकिन इसके पास ही श्रीमती इन्द्रा पत्नि श्री भंवरलाल जाट निवासी मसूदा नें हमारे परिजनो की कब्जा शुदा भूमि पर कब्जा कर मारपीट कर हमारे परिवार वालो के करीबन 25-26 जनो के खिलाफ पुलिस थाना मसूदा में मुकदमा नं. 234/2024 दर्ज करवा दिया। जिसकी जांच श्री बीरबल राम हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मसूदा कर रहे है। कल दिनांक 02.11.2024 को समय 02.00 पी.एम के लगभग मै मेरे भाई हीरासिंह एवं भाभीजी सुगना देवी एवं हीरासिंह की 2 बहिने अमला एवं फुला के साथ पुलिस थाना मसूदा गये। जहां पर मेरे से श्री बीरबल राम जी हैडसाहब नें इनकी जमानत हेतु मेरे से 2 फोटो एवं आधार कार्ड की फोटो लेकर मेरे हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद मेरे भाई साहब हीरासिंह एवं सभी को घर भेज दिया तथा मुझे हैडसाहब नें थाने पर ही रोक लिया तथा कहा कि मुकदमें में 25-26 जनो के नाम है, इनके नाम निकलवाने है,तो 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये देने पडेंगे। मेरे से श्री बीरबल राम हैड साहब नें 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। तथा 25000/- आज शाम तक लेकर आने की कहा है। मैने हैड साहब बीरबलराम जी से काफी हाथा जोडी की कि ये सभी गरीब आदमी है, मौके पर कोई भी आदमी मौजूद नही था। तो बीरबलराम जी नें मुझे डांटते हुए कहा कि तू मुझे कानून सीखा रहा है, क्या, तुझे भी जेल भेज दूंगा। हैड साहब नें मेरे परिवार वालो के मुकदमे में झूठे नाम लिख रखे है। तथा अब इनके नाम निकलवाने के नाम पर 25,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं श्री बीरबल राम हैड साहब को मेरे परिवार वालो के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जायज कार्य की एवज में हैड साहब को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए को

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम विषय - भ्रष्ट पुलिस कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय जी, निवेदन है कि मैं प्रार्थी कमलेश सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति रावत उम्र 24 साल निवासी नारायणपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर का निवासी हूं। मै क्रेन ऑपरेटर हूं। मै 12 तक पढा लिखा हूं। मेरे चचेरे भाई हिरा सिंह पुत्र श्री लादू सिंह व मेरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस थाना मसूदा में इन्द्रा देवी जाट पत्नि श्री भंवर जाट ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिसमें इन्द्रा देवी जाट ने मेरे सभी चचेरे भाईयों व परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट में झुठा नाम लिखा दिया। रिपोर्ट की जांच श्री बीरबल राम हैड साहब थाना मसूदा कर रहे है। कल दिनांक 02.11.2024 को मैं समय 2.00 पी.एम. पर मेरे भाई हिरा सिंह व भाभीजी सुगना देवी व बहिन अमला के साथ पुलिस थाना मसूदा मे जाकर इनकी जमानत दी तथा हैड साहब बीरबल राम जी ने मेरे से फोटो व आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली। इसके बाद मेरे भाई व भाभी व बहिन को तो भेज दिया तथा मुझे थाने पर रोक लिया तथा मुझे साइड में ले जाकर कहा कि रिपोर्ट में 25-26 जनो के नाम है इनका नाम निकालना है तो 25000/ पच्चीस हजार रूपये की रिश्वत की मांग की। 25000/ रूपये कल शाम तक लेकर आ जाना नही तो सभी को जेल में भेज दूंगा, मैने काफी हाथा जोडी की कि इस घटना के दिन केवल 3 तीन औरत ही थी, आदमी तो कोई नही था तो उसने कहा कि तू मुझे कानून सीखा रहा है क्या तुझे जेल भेज दूंगा मैं श्री बीरबल राम हैड साहब को मेरे परिवार वालों के खिलाफ दर्ज मुकदमा में जायज कार्य की एवज में कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं, ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को 25000/- हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंग हाथों पकडवाना चाहता हूं, श्री बीरबल राम मेरे से 25000, हजार रूपये रिश्वत लिये बगैर मेरे परिवार वालों के खिलाफ झुठी कार्यवाही कर परेशान करेगा, मेरी श्री बीरबल राम हैड साहब से कोई रंजिश नही है और नही कोई उधार का लेने-देन बकाया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही करें।
03.11.2024 प्रार्थी एस.डी कमलेश सिंह नाम कमलेश सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति रावत उम्र 24 वर्ष निवासी नारायणपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर मो.नं. [redacted] संलग्न 1. आधार कार्ड की फोटो कॉपी 2. नोटिस धारा 35 (3) BNSS एस.डी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, एस.डी श्री प्रदीप सिंह राठौड कार्यवाही पुलिस – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम दिनांक 03.11.2024 समय 04.30 पी.एम केम्प श्री रामदेव सिंह रावत का मकान, शिव कोलोनी मसूदा – इस समय परिवादी श्री कमलेश सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जाति रावत उम्र 24 वर्ष निवासी नारायणपुरा तहसील मसूदा जिला ब्यावर नें एक तहरीरी रिपोर्ट मुझ उप अधीक्षक पारसमल को प्रस्तुत रिपोर्ट की जिस पर प्रार्थी श्री कमलेश सिंह से दरयाप्त की गई तो बताया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं। तथा पेशे से हाइड्रा क्रेन ऑपरेटर हूँ तथा बारहवी कक्षा पास हूँ। उक्त रिपोर्ट मेरी स्वयं की कलमी है। दरयाप्त पर बताया कि श्री हीरा सिंह पुत्र श्री लादू सिंह, निवासी नारायणपुरा मेरा चचेरा भाई है। जिसके तखतपुरा एवं नारायणपुरा के बीच में कृषि भूमि है, तथा इसके पास में ही कुछ सरकारी भूमि जिस पर 40 साल से श्री हीरासिंह का कब्जा है, लेकिन इसके पास ही श्रीमती इन्द्रा पत्नि श्री भंवरलाल जाट निवासी मसूदा नें हमारे परिजनो की कब्जा शुदा भूमि पर कब्जा कर मारपीट कर हमारे परिवार वालो के करीबन 25-26 जनो के खिलाफ पुलिस थाना मसूदा में मुकदमा नं. 234/2024 दर्ज करवा दिया। जिसकी जांच श्री बीरबल राम हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना मसूदा कर रहे है। कल दिनांक 02.11.2024 को समय 02.00 पी.एम के लगभग मै मेरे भाई हीरासिंह एवं भाभीजी सुगना देवी एवं हीरासिंह की 2 बहिने अमला एवं फुला के साथ पुलिस थाना मसूदा गये। जहां पर मेरे से श्री बीरबल राम जी हैडसाहब नें इनकी जमानत हेतु मेरे से 2 फोटो एवं आधार कार्ड की फोटो लेकर मेरे हस्ताक्षर करवाये। इसके बाद मेरे भाई साहब हीरासिंह एवं सभी को घर भेज दिया तथा मुझे हैडसाहब नें थाने पर ही रोक लिया तथा कहा कि मुकदमें में 25-26 जनो के नाम है, इनके नाम निकलवाने है,तो 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये देने पडेंगे। मेरे से श्री बीरबल राम हैड साहब नें 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। तथा 25000/- आज शाम तक लेकर आने की कहा है। मैने हैड साहब बीरबलराम जी से काफी हाथा जोडी की कि ये सभी गरीब आदमी है, मौके पर कोई भी आदमी मौजूद नही था। तो बीरबलराम जी नें मुझे डांटते हुए कहा कि तू मुझे कानून सीखा रहा है, क्या, तुझे भी जेल भेज दूंगा। हैड साहब नें मेरे परिवार वालो के मुकदमे में झूठे नाम लिख रखे है। तथा अब इनके नाम निकलवाने के नाम पर 25,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं श्री बीरबल राम हैड साहब को मेरे परिवार वालो के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जायज कार्य की एवज में हैड साहब को कोई रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए को

रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी एवं मेरे परिजनो की हैड साहब श्री बीरबलराम जी से कोई रंजिश नही है। और न ही कोई लेनदेन बकाया है। हैड साहब बीरबलराम जी मेरे से पच्चीस हजार रूपये रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे पूरे परिवार वालो को झूठे मुकदमें में फंसा कर परेशान करेंगे। मौके पर उपस्थित विनोद सिंह एवं उसके छोटे भाई बबलूसिंह से दरयाप्त की तो बताया इसी मुकदमे में मेरे परिवार में पिताजी छोटूसिंह, मम्मी डाली देवी एवं मेरे भाई बबलू का नाम बताया है तथा मुझे भी हैड साहब नें मेरे परिवार वालो के नाम कटवाने के लिये बुलाया है तथा प्रतिनाम 1000-1500 रूपये के हिसाब से मंगवाये है। कमलेश सिंह एवं हम रिश्तेदार है। कमलेश सिंह ने नोटिस धारा 35(3) बीएनएसएस एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की। मजमून तहरीरी रिपोर्ट एवं दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादीगणों को एसओ के पास भेजकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। अतः उपस्थित परिवादीगण श्री कमलेश सिंह एवं विनोद सिंह, बबलूसिंह को पुलिस थाना मसूदा जाकर हैड कानि श्री बीरबलराम से अपने लम्बित कार्य एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करने की कहने पर तीनो ने कहा कि हम अभी जाकर बीरबल राम जी से वार्ता कर लेंगे। समय 05.15 पी.एम पर हमराह जाप्ता श्री रामपाल सउनि के पास से कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर एवं एक नया मेमोरी कार्ड सेनडिस्क अल्ट्रा 64 जी.बी प्राप्त किया। हमराह कानि. श्री पवन 417 को परिवादीगणों कमलेशसिंह, विनोदसिंह एवं बबलूसिंह से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी कमलेश एवं विनोदसिंह के नम्बर आपस में शेयर किये। कानि. श्री पवन को परिवादीगणों के साथ जाकर एसओ द्वारा की जाने वाली रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करने के निर्देश दिये। परिवादीगणों को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाया तथा डिजीटल वॉइस रिकार्डर को चालू एवं बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। परिवादीगणों को वार्ता के दौरान किसी प्रकार की घबराहट में बातचीत नही करे। तथा कानि को निर्देश दिये कि परिवादीगणों को वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉइस रिकार्डर को अच्छी तरह से चालू कर परिवादी कमलेश को सुपुर्द करे। तथा एसओ की आम शोहरत के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त करे एवं एसओ एवं परिवादीगणों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्ड करे। कानि. एवं परिवादीगणों को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपुर्दगी सुपुर्द किया गया। समय 05.30 पी.एम पर श्री कमलेशसिंह, विनोद एवं बबलू को स्वयं की मोटर साईकिल से एवं कानि पवन को परिवादी द्वारा उपलब्ध करवाई गई मोटर साईकिल से मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना मसूदा की ओर रवाना किया गया। समय 06.15 पी.एम पर परिवादीगण श्री कमलेशसिंह, विनोदसिंह, एवं बबलूसिंह के कानि. श्री पवन के उपस्थित आये तथा कानि. श्री पवन नें कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर मन उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। कानि. श्री पवन नें बताया कि मैं तथा परिवादीगण यहां से रवाना होकर थाने से थोड़ा पहले रूके तथा मैने कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर चालू कर श्री कमलेश सिंह को दे दिया। श्री कमलेश सिंह नें रिकार्डर चालू हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की जेब में रखा इसके बाद परिवादीगणो को एसओ से वार्ता के लिये पुलिस थाना मसूदा भिजवाया गया। मैं परिवादीगणो की मोटर साईकिल के पीछे पीछे थाने के सामने चाय होटल पर पहुंचा । परिवादी श्री कमलेश सिंह एवं बबलू एवं विनोद सिंह, एसओ से वार्ता करने लगे। मैं वही सामने ही बैठ कर परिवादीगणों की एसओ से हो रही वार्ता को देखा। परिवादी श्री कमलेश की ओर बबलू सिंह, विनोद सिंह की वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित परिवादीगणों से पूछताछ की गई तो बताया कि हम कानि. श्री पवन जी के साथ यहां से अलग अलग मोटर साईकिलो से रवाना होकर पुलिस थाना मसूदा से पहले रूके जहां श्री पवन जी कानिस्टेबल ने मुझे वॉइस रिकार्डर चालू कर दिया। मैं तथा मेरे साथ विनोदसिंह, एवं बबलूसिंह थाने के सामने पहुंचे तो श्री बीरबलराम जी हैड साहब हमे थाने के बाहर चाय की होटल पर ही मिल गये। जहां पर मैने एवं विनोदसिंह, बबलू ने हमारे कार्य के संबंध में वार्ता की जो आपके कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड हो चुकी है। रिकार्डर को मैनें मेरे पास मेरी शर्ट की उपर की बाई जेब में रखा था। हैड साहब बीरबलराम जी वार्ता के बाद मैने यहां पहुंचकर रिकार्डर को श्री पवन जी को सुपुर्द कर दिया। हैड साहब नें हमारे परिजनो के मुकदमें से नाम हटाने के संबंध में बातचीत की। तथा कहा कि परिवार के नाम हटा दूंगा, तू 10 दे दे। तथा बीरबल राम जी नें पूछा कि कितना लेकर आये हो अभी तो मैने कहा पांच हजार तो बीरबल जी ने कहा कि मैं अपने आप आ जाऊंगा, अपने पास रख ले, मै ले लूंगा। तथा बातचीत के दौरान 5000/- रूपये नही लिये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा रिकार्ड वार्ताओं को सुना गया तो परिवादीगणों द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। आइन्दा परिवादीगणों को भेजकर स्पष्ट रूप से मांग सत्यापन करवाया जायेगा। मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता के रवाना होकर भीलवाडा पहुंचा। परिवादीगणों को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। दिनांक 04.11.2024 समय 08.30 ए.एम पर श्री पवन कानि नं. 417 निर्देशानुसार कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया, मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी से डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकाल कर श्री पवन कानि को सुपुर्द किया गया, तथा परिवादीगणों से सम्पर्क कर एसओ एवं परिवादीगणों के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु मसुदा की तरफ रवाना किया गया, तथा कानि. को निर्देश दिये कि यदि एसओ परिवादीगणों से मोबाईल पर किसी तरह की वार्तालाप करे तो रिकार्डर को चालु कर रिकार्ड करे, तथा परिवादी वार्ता के लिये जाने से पूर्व सावधानी पूर्वक रिकार्डर को चालू कर परिवादी

को सुपुर्द करे। समय 04.00 पी.एम पर श्री पवन कानि नं. 417 उपस्थित कार्यालय आया वॉइस रिकार्डर मुझ उप अधीक्षक को सिपुर्द कर जाहिर किया कि ब्यूरो कार्यालय से बस से रवाना होकर बिजयनगर पहुंचा, जहां परिवादी श्री कमलेश सिंह व श्री विनोद सिंह उपस्थित मिले, जिनको हमराह लेकर मय मोटर साईकिल के रवाना होकर मसूदा पहुंचे। पुलिस थाना मसुदा के पास पहुंचकर वॉइस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री कमलेश सिंह को रिकार्डर सिपुर्द कर एसओ से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पुलिस थाना मसुदा रवाना किया गया। समय 12.15 ए.एम पर परिवादी श्री कमलेश सिंह मेरे पास आया व वॉइस रिकार्डर सिपुर्द कर बताया कि हैड साहब बीरबल जी से मांग सत्यापन की वार्ता हो गयी है तथा 10,000/- रूपये श्री प्रधान (प्राईवेट व्यक्ति) को देने के लिये कहा जिस पर मैनें श्री प्रधान को 10,000/- रूपये की राशि उसकी चाय की होटल पर दे दी। वार्ता के दौरान पुलिस थाना मसूदा में प्रधान भी उपस्थित था। मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री कमलेश से जरिये मोबाईल वार्ता की तो बताया कि हैड साहब बीरबल राम जी नें मुकदमें से हमारे परिजनों के नाम हटाने की ऐवज में 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर मेरे से 10 हजार रूपये अपने परिचित दलाल श्री प्रधान को दिलवाये है, तथा पैसे देने के बाद में हैड साहब श्री बीरबल राम जी, विनोद की दुकान के सामने आकर बैठ गये तथा हमारे आने जाने पर निगरानी रख रहे है। आईन्दा हम आपके पास उपस्थित हो जायेंगे। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉइस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो आरोपी द्वारा 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि के संबंध में परिवादी श्री कमलेश सिंह को कहता है कि याको हिसाब करिया चाय पानी को बस तु याने कर दिजे जिस पर परिवादी कहता है कि तो दस हजार है मान कै, आगे वार्ता में हैड कानि बीरबलराम कहता है कि हां दे दी जै ठीक है, तब परिवादी कहता है बाकि 15, तो आरोपी कहता है कि बाकी बाद में थन बता देउं शाम को लियाज और रिश्वत राशि 10,000/- रूपये अपने परिचित दलाल श्री प्रधान को देने की सहमति देता है, एवं आरोपी श्री बीरबल राम के कहेअनुसार आरोपी श्री प्रधान 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि परिवादी श्री कमलेश से ग्रहण करना पाया जाने से संबंधित वार्तायें रिकार्ड हुई है। अतः परिवादीगणों से आरोपी श्री बीरबल राम एवं प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रधान द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर ग्रहण करना एवं शेष राशि 15 हजार रूपये बाद में बताने एवं शाम को लाने के लिये कहा गया। अतः आरोपी श्री बीरबलराम से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। आईन्दा परिवादीगण एवं गवाहान की तलबी कर रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। कार्यालय डिजीटल वॉइस रिकार्डर मन उप अधीक्षक के पास कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। समय 05.45 पी.एम पर परिवादी श्री कमलेश सिंह एवं श्री विनोद सिंह नें मुझ उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि आरोपी श्री बीरबलराम हैड कानि एवं श्री प्रधान दोनो ही मेरी दुकान के आसपास ही घुम रहे है तथा हमारे पास अलग अलग व्यक्तियों को भिजवा रहे है तथा पूछ रहे है कि कही हमने शिकायत तो नही की इसलिये हम अभी अग्रिम कार्यवाही के लिये भीलवाडा नही आ सकते। परिवादी श्री विनोद ने बताया कि मैं मोटर साईकिल मेकेनिक का काम करता हूँ, यदि मैं दुकान बंद करूंगा तो हैड साहब को हमारे पर शक हो जायेगा तथा श्री कमलेश नें भी बताया कि मेरे पास हैड साहब श्री बीरबल राम जी के लगातार फोन आ रहे है तथा मेरी लोकेशन ले रहे है तथा पूछ रहे है कि तुम कहां हो, इसलिये मैं आज अजमेर आ गया हूं। अतः हम आईन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेंगे। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 20.12.2024 समय 12.15 पी.एम पर श्री नेमीचंद एएसआई को गोपनीय कार्यवाही में 02 स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु जरिये कार्यालय पत्रांक 1932 दिनांक 20.12.2024 से कार्यालय अधीक्षण अभियंता अविविनिलि भीलवाडा रवाना किया गया। समय 01.30 पी.एम पर श्री नेमीचंद सउनि, कार्यालय अधीक्षण अभियंता अविविनिलि भीलवाडा से 02 स्वतन्त्र गवाहान 1. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री भवानी सिंह शेखावत, उम्र 31 वर्ष निवासी मकान नम्बर 627/1 ए, तिलक नगर भीलवाडा, पुलिस थाना भीमगंज जिला भीलवाडा हाल जूनियर अकाउन्टेंट, कार्यालय लेखाधिकारी, (प.व.स.) अविविनिलि, भीलवाडा मो.नं. [redacted]. श्री प्रदीप सिंह राठौड पुत्र श्री दशरथ सिंह राठौड, उम्र 39 वर्ष, निवासी मकान नम्बर डी-3-50, लेबर कोलोनी प्रताप नगर, भीलवाडा हाल सूचना सहायक, सहायक भंडार नियंत्रक, अविविनिलि भीलवाडा मो.नं. [redacted] मय कार्यालय आदेश क्रमांक अविविनिलि/अअ(पवस)/भील/ संस्था/2024-25/प्रे-205 दिनांक 20.12.2024 से उपस्थित आये, जिनको अग्रिम गोपनीय कार्यवाही में बतौर गवाह बनने हेतु बताया गया एवं कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री कमलेश सिंह एवं श्री विनोद सिंह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा बताया कि मैं अभी गाडी पर बाहर चला गया था, आज बबलू सिंह के आवश्यक कार्य होने से आज कार्यालय में उपस्थित नही हो सका। श्री कमलेश सिंह नें बताया कि हैड साहब बीरबल राम जी अभी भी मेरे भाई साहब हीरा सिंह जी को लगातार फोन कर परेशान कर रहे है। अभी हीरा सिंह जी बाहर गाडी पर गये है। इसलिये हम अभी थाने पर नही गये है, कल हम बबलूसिंह को साथ लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जायेंगे। इस पर परिवादीगण व स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 21.12.2024 को समय 11 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश देकर रूख्सत किया गया। दिनांक 21.12.2024 समय 01.00 पी.एम पर परिवादीगण श्री कमलेश सिंह, श्री विनोद सिंह व श्री बबलूसिंह कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत लेखाधिकारी (पवस) अविविनिलि भीलवाडा व श्री प्रदीप सिंह राठौड सहायक भण्डार नियन्त्रक अविविनिलि भीलवाडा उपस्थित आये। मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादीगणों एवं स्वतन्त्र गवाहान का आपस में

परिचय करवाया गया तथा स्वतन्त्र गवाहान से की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो लिखित में सहमति दी। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाह को पढाया जाकर तहरीरी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 01.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक नें कार्यालय आलमारी से डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड निकाला गया। डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.11.2024 एवं दिनांक 04.11.2024 रिकार्ड है, डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर परिवादीगणों एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड वार्ताओं को बारी बारी से चलाकर सुना गया। रिकार्ड वार्ताओं में परिवादीगण कमलेश सिंह, श्री विनोद सिंह, व श्री बबलू सिंह नें पृथक पृथक अपनी अपनी आवाज एवं आरोपीगण श्री बीरबल राम हैड कानिस्टेबल एवं आरोपी श्री प्रधान की आवाज की पहचान की। रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शब्द ब शब्द सुन सुनकर कानि. श्री पवन 417 से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवायी गयी। रिकार्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी कर 04 पेनड्राईव पृथक पृथक तैयार किये गये। जिसमें एक पेनड्राईव 16 जी.बी लेपकेयर कम्पनी का माननीय न्यायालय हेतु पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क PD-1 आरोपीगणों हेतु पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड कर पेनड्राईव को मार्क PD-2 व मार्क PD-3 दिया गया व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार कर कागज के पीले लिफाफे में रखकर खुला रखा गया। तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर मार्क M दिया गया। सभी आर्टिकल पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BLA-1, 23 अंकित की गई। परिवादी व गवाहान के समक्ष रिकार्ड वार्ताओं की मूल मेमोरी कार्ड से हैशवेल्यू निकालकर सभी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 06.35 पी.एम पर परिवादी श्री विनोद नें बताया कि अभी 06.20 पी.एम पर मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] पर श्री बीरबल राम जी हैड कानि नें अपने मोबाईल नम्बर 8058911540 से मुझे फोन कर बताया कि हीरासिंह व उनकी बहनों की जमानत करवाओ और सोमवार तक इनको थाने लेकर आने की कहा है। परिवादीगण श्री कमलेश सिंह व विनोद सिंह ने बताया कि बीरबल राम जी, हीरासिंह एवं इनकी बहिनों की जमानत भरने के दौरान ही शेष रिश्वत राशि सोमवार को लेंगे। अतः परिवादी श्री विनोद नें बताया कि अब वह अग्रिम रिश्वत राशि श्री कमलेश सिंह से ही लेंगे, मेरे से तो अब वह बात नही करते है और उन्होने मुझे पहले ही कह दिया कि तुम फिल्म में मत आना, अतः वह मेरे से रिश्वत राशि लेनदेन की बात नही करेंगे। अतः श्री कमलेश सिंह को दिनांक 23.12.2024 को प्रातः 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने की कहा तो श्री कमलेश सिंह ने कहा कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है। तथा मैं दिनांक 23.12.2024 को आपके कार्यालय में आउंगा तो हो सकता है कि बीरबल राम जी को शक हो सकता है और वह सीधे ही मेरे घर पर आ सकते है। अतः आप एसीबी टीम के साथ मसूदा ही आ जाना, मैं आपको वही मिल जाऊंगा। अतः परिवादी एवं गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया तथा दोनो गवाहान व कार्यालय कार्मिकों को दिनांक 23.12.2024 को समय 06.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जाकर वरिष्ठ अधिकारियों को हालात निवेदन किये गये। दिनांक 23.12.2024 समय 07.00 ए.एम पर कार्यालय स्टाफ, दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित आये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आये। मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री पवन कानि, श्री प्रेमराज कानि, श्री गजेन्द्र सिंह कानि, श्री इन्द्रजीत कानि मय स्वतंत्र गवाह के प्राईवेट वाहन से एवं श्री राजेश कुमार आचार्य उनि, श्री रामपाल सउनि, श्री नेमीचंद सउनि, श्री श्रवण हैड कानि, श्री खालिद हुसैन हैड कानि, श्री राजवीर कानि, श्री शिवराज कानि के मय वाहन सरकारी बोलेरो एवं कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक ट्रेप सामग्री के मसूदा की तरफ रवाना हुये। समय 08.30 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान मय एसीबी टीम के मसूदा पहुंचे तथा परिवादी श्री कमलेश सिंह से सम्पर्क किया तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये श्री रामदेवसिंह रावत मसूदा के आवास पर पहुंचे जहां पर परिवादी व गवाहान के समक्ष अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 08.45 ए.एम पर परिवादी श्री कमलेश सिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने की कहने पर अपने पास से 15,000/- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 30 नोट भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये, नोटो के नम्बर गवाहान के समक्ष फर्द पर अंकित किये जाकर रिश्वत राशि नोटो पर हैड कानि श्री श्रवण कुमार से गवाहान व परिवादी के समक्ष फिनोफ्थेलिन पाउडर लगवाया गया तथा फर्द पेशकशी नोट, सिपुर्दगी नोट व फिनोफ्थेलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक प्रक्रियां का द्रष्टांत दिया जाकर फर्द मुर्तिब की गई। फर्द पर गवाहान व सभी सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.45 ए.एम पर कानि. श्री पवन को एक नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी का मय डिजीटल वॉइस रिकार्डर के सिपुर्द किया एवं एक नया मेमोरी कार्ड 64 जी.बी श्री इंद्रजीत कानि को वास्ते कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग हेतु सिपुर्द किया गया। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक मय श्री गजेन्द्र सिंह कानि, श्री इन्द्रजीत कानि, मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र सिंह व श्री प्रदीप सिंह मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के एवं श्री राजेश कुमार उनि, श्री रामपाल सउनि, श्री नेमीचंद सउनि, श्री प्रेमराज कानि, श्री राजवीर कानि मय वाहन सरकारी बोलेरो के एवं परिवादी श्री कमलेश सिंह को स्वयं की मोटर साईकिल से कानि. श्री पवन कुमार को एवं हैड कानि श्री खालिद हुसैन व शिवराज कानि को परिवादी द्वारा उपलब्ध करायी गयी दो पृथक पृथक मोटर साईकिलो से थाने मसुदा की

ओर रवाना हुये तथा कानि. श्री पवन को निर्देश दिये कि आप परिवादी श्री कमलेश के एसओ के पास लेनदेन वार्ता करने जाने से पूर्व डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को अच्छी तरह से चालू कर सिपुर्द करे। समय 10.55 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के बिजयनगर चौराहे से थोडा आगे थाने की तरफ पहुंचकर रोड के किनारे वाहनो को खडा करवाया गया तथा समस्त गवाहान व एसीबी टीम को अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। तथा परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुये। समय 11.30 ए.एम पर कानि. श्री पवन नें मुझ उप अधीक्षक को जरिये व्हॉट्सएप्प वाईस कॉल से बताया कि परिवादी थाने से बिना किसी निर्धारित ईशारे के निकल गया है तथा हम भी परिवादी के पीछे पीछे मोटर साईकिल से श्री रामदेव सिंह के मकान पर पहुंच रहे है। इस पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता के श्री रामदेव सिंह के मकान की ओर रवाना हुये। समय 11.40 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पारसमल मय जाप्ता मय गवाहान के श्री रामदेव सिंह के मकान पर उपस्थित आये, परिवादी श्री कमलेश सिंह एवं श्री पवन कानि 417, श्री शिवराज सिंह कानि, श्री खालिद हुसैन हैड कानि भी उपस्थित आये। श्री पवन कानि नें कार्यालय का डिजीटल वॉइस रिकार्डर बंद हालत में मुझ उप अधीक्षक को सिपुर्द किया तथा कानि. नें बताया कि आपके निर्देशानुसार मैनें थाने से थोडा पहले पहुंचकर परिवादी को डिजीटल वॉइस रिकार्डर अच्छी तरह से चालु करके दिया। जिसको परिवादी नें अपनी पहनी हुयी शर्ट की उपर की बांयी जेब में रखकर एसओ से वार्ता के लिये थाने के अन्दर गया। तथा करीब आधे घंटे बाद बिना कोई निर्धारित ईशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल लेकर रवाना हो गया। जिस पर थाने से थोडा आगे आकर मैने परिवादी से डिजीटल वॉइस रिकार्डर लेकर बंद किया तथा परिवादी ने बताया कि श्री बीरबल राम जी हैड साहब नें मेरे से पैसो के लेनदेन के संबंध में बातचीत नही की है। तत्पश्चात परिवादी श्री कमलेश से पूछा तो बताया कि मैं श्री पवन जी से डिजीटल वॉइस रिकार्डर लेकर चालू हालत में मेरी उपर की बांयी जेब में रखकर वार्ता करने के लिये थाने के अन्दर गया तथा मैनें मेरे मोबाईल से भी श्री बीरबल राम से वार्ता की। श्री बीरबल राम नें मेरे रिश्तेदार श्रीमती सुगना (भाभी), अमला व फुला (बहिनो) की जमानत के लिये जमानती श्री नारायण सिंह के फोटो, आधार कार्ड एवं जमाबंदी की नकल श्री पवन जी वकील साहब को देने की कहा और मुझे कहा कि वो आपकी सुबह जमानत करवा देगा। मेरे से श्री बीरबल राम नें आज पैसे लेनदेन की कोई बातचीत नही की। इसके बाद मैं थाने से बाहर निकलकर मैं कानि पवन जी से मिला और डिजीटल वॉइस रिकार्डर उनको सिपुर्द कर दिया और पवन जी नें वॉइस रिकार्डर को बंद करके अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी की पेंट की बायीं जेब से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15000/- रूपये गवाह श्री प्रदीप सिंह से निकलवायी जाकर गवाह से गिनवायी गई। रिश्वत राशि नोटो को एक कागज के लिफाफे में डालकर मन उप अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी। तत्पश्चात परिवादी नें बताया कि श्री बीरबल राम बहुत शातिर और चालाक है, पिछली बार भी बातचीत के दौरान मेरी तलाशी ली थी तथा दिनांक 03.11.2024 को शाम 07.00 बजे के बाद अचानक श्री विनोद के घर पर पैसे लेने के लिये पहुंच गया था, हो सकता है आज भी श्री बीरबल राम मुझे अचानक फोन करके या अचानक मेरे घर पहुंचकर पैसे ले सकता है। जिस पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के श्री रामदेव सिंह के मकान पर ही मुकीम हुये। समय 05.00 पी.एम पर परिवादी श्री कमलेश ने बताया कि अभी तक श्री बीरबल राम का मेरे पास पैसो के लेनदेन के संबंध में फोन नही आया है, हो सकता है कि वह शाम को अचानक पैसे लेने के लिये रात्री में मेरे घर आ सकता है। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी कि आप एसीबी की जानकारी के बगैर आरोपी को किसी प्रकार की रिश्वत राशि का लेनदेन न कर तुरंत मुझ उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल सूचित करे। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूख्सत किया गया। मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री पवन कानि, श्री प्रेमराज कानि, श्री गजेन्द्र सिंह कानि, श्री इन्द्रजीत कानि मय स्वतंत्र गवाह के प्राईवेट वाहन से एवं श्री राजेश कुमार आचार्य उनि, श्री रामपाल सउनि, श्री नेमीचंद सउनि, श्री खालिद हुसैन हैड कानि, श्री राजवीर कानि, श्री शिवराज कानि के मय वाहन सरकारी बोलेरो एवं कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, मय ट्रेप बॉक्स मय आवश्यक ट्रेप सामग्री के ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा के लिये रवाना होकर समय 08.00 पी.एम पर ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा पहुंचा। दिनांक 15.01.2025 समय 12.30 पी.एम इस समय परिवादी श्री कमलेश सिंह रावत नें उपस्थित कार्यालय होकर मन पारसमल उप अधीक्षक को बताया कि दिनांक 23.12.24 को श्री बीरबलराम हैड साहब ने रिश्वत राशि ग्रहण नही की और ज्यादा बातचीत नही की। इसके बाद मैं दिनांक 29.12.24 को भी मुझे हैड साहब थाने के पास मिले, एवं उसके बाद कल दिनांक 14.01.25 को समय 3 पी.एम के लगभग थाने के बाहर चाय की थडी पर मिले तो मेरी केवल राम राम ही हुये। हैड साहब बीरबल जी ने मेरे से कोई रिश्वत राशि लेन देन के संबंध में बातचीत नही की। बीरबलराम जी को शायद ए.सी.बी कार्यवाही की शंका हो गई है। इसलिये अब वो मेरे से किसी प्रकार की रिश्वत लेन देन की बातचीत नही करेंगे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। निर्देशानुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई रिश्वत राशि के 15000/- नम्बरी नोट बदलवाकर परिवादी को 15000/- रुपये लौटाये गये, जिसकी रसीद प्राप्त की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरयाप्त से यह तथ्य सामने आया कि श्री बीरबलराम हैड कानि. थाना मसूदा को ए.सी.बी. कार्यवाही की शंका हो गई है, इसलिये वह परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नही कर रहा है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है। परिवादी को रूख्सत किया गया । परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया कि श्री कमलेश सिंह रावत एवं उसके

परिजनों के विरूद्ध पुलिस थाना मसूदा जिला ब्यावर में दर्ज अभियोग में 25-26 जनो के नाम प्रकरण में झूठे दर्ज कर उनके नाम निकालने की एवज में 25000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिस पर दिनांक 03.11.2024 को परिवादी श्री कमलेश सिंह के साथ सहपरिवादीगण श्री विनोद सिंह एवं बबलूसिंह के साथ पुलिस थाना मसूदा भिजवाकर मांग सत्यापन वार्ता की कार्यालय के डिजीटल वाइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई। वार्तानुसार आरोपी श्री बीरबलराम ने परिवादीगणों के परिजनो के नाम मुकदमे से हटाने के संबंध में 10,000/- रूपये की मांग तथा पूछा कि अभी कितना लेकर आये हो, तो परिवादी ने पांच हजार रूपये लाना बताया। इस पर आरोपी हैड कानि श्री बीरबलराम ने कहा कि मैं अपने आप आ जाऊंगा अपने पास रख ले। तत्पश्चात दिनांक 03.11.2024 को हो परिवादी श्री विनोदसिंह ने जरिये टेलिफोन बताया कि श्री बीरबलराम हैड कानि शाम को 07.00 बजे लगभग मेरे घर पर आकर मुझे बाहर बुलाया तथा पैसो की मांग की गई। तब सहपरिवादी श्री विनोद सिंह नें पैसे कमलेश के पास होना तथा कल थाने पहुंचकर कमलेश से पैसे दिलवाने की बात कही । दिनांक 04.11.24 को परिवादी श्री कमलेश सिंह को आरोपी श्री बीरबलराम हैड कानि थाना मसूदा के पास भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाई तो आरोपी नें परिवादी कमलेश से कहा कि याको हिसाब करिया चाय पानी को बस तू याने कर दिजे, जिस पर परिवादी कमलेश सिंह कहता है कि तो दस हजार है, मान कै, आगे वार्ता में आरोपी कहता है कि हां दे दी जै, ठीक है तब परिवादी शेष रिश्वत राशि 15000/- रूपये के लेन-देन के संबंध में पूछता है तो आरोपी कहता है, बाकि बाद में थन बता देउं शाम को लियाजे और रिश्वत राशि 10,000/- रूपये अपने परिचित दलाल श्री प्रधान सिंह नामक प्राईवेट व्यक्ति को देने की कहता है। जिस पर आरोपी श्री बीरबलराम हैड कानि. के कहेअनुसार 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि दलाल प्रधान को देता है और प्रधान 10,000/- रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने पास रख लेता है। इस प्रकार आरोपी श्री बीरबलराम हैड कानि. पुलिस थाना मसूदा जिला ब्यावर द्वारा परिवादी श्री कमलेश सिंह रावत एवं सह परिवादीगण श्री विनोद सिंह एवं बबलूसिंह के परिजनो के विरूद्ध पुलिस थाना मसूदा में दर्ज अभियोग संख्या 234/2024 में नाम निकालने एवं मदद करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से आपराधिक षडयंत्रपूर्वक 25,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर, मांग के अनुसरण में दिनांक 04.11.2024 को 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि अपने परिचित प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रधान सिंह नामक व्यक्ति को दिलवाना पाया गया। एवं शेष रिश्वत राशि 15000/- रूपये लेन देन के संबंध में बाद में बताने एवं शाम को लाने के लिये कहा गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बीरबलराम हैड कानि. पुलिस थाना मसूदा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उसके विरूद्ध की जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से शेष रिश्वत राशि 15000/- ग्रहण नही करने से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। इस प्रकार श्री बीरबलराम हैड कानि. पुलिस थाना मसूदा जिला ब्यावर एवं प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रधान का उक्त कृत्य धारा 7, 7A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध घटित करना पाया जाता है। अतः आरोपीगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किये जाने हेतु रिपोर्ट कार्यालय पत्रांक 61-62 दिनांक 16.01.2025 से ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की गई। जिस पर श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर के पत्रांक भ्र.नि.ब्यूरो/अशा/3/25/1926-27 दिनांक 10.02.2025 से आरोपीगण श्री बीरबलराम, हैड कानि, पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर एवं प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रधान सिंह के विरूद्ध धारा 7, 7A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। अतः आरोपीगण श्री बीरबलराम पुत्र श्री सुगनाराम, जाति अहीर, उम्र 49 वर्ष, निवासी सिराही, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल नम्बर 1006, पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर एवं प्राईवेट व्यक्ति श्री प्रधान सिंह पुत्र श्री भानु सिंह, जाति रावत, उम्र 35 वर्ष, निवासी रामपुरा, पुलिस थाना मसूदा जिला ब्यावर के विरूद्ध धारा 7, 7A, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जाती है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम।.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भीलवाडा प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018)एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1.श्री बीरबलराम पुत्र श्री सुगनाराम, जाति अहीर, उम्र 49 वर्ष, निवासी सिराही, पुलिस थाना नीम का थाना, जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल नम्बर 1006, पुलिस थाना मसूदा, जिला ब्यावर 2. श्री प्रधान सिंह पुत्र श्री भानु सिंह, जाति रावत, उम्र 35 वर्ष, निवासी रामपुरा, पुलिस थाना मसूदा जिला ब्यावर (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंसीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 408 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 216-20 दिनांक 24.02.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. पुलिस अधीक्षक जिला पाली 3. पुलिस अधीक्षक जिला ब्यावर 4-उप महानिरीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 5.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार

निरोधक ब्यूरो भीलवाडा प्रथम । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [redacted]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	31/08/1975				
2	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)